न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —03/2025 (अपील)

GCMS No.- 2025/5

1. गोविन्द राम मलकानी पुत्र खिल्लुमल मलकानी जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 366 ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड़ तलवण्डी कोटा
2. श्रीमति कान्ता मलकानी पत्नी श्री गोविन्दराम मलकानी पत्नी श्री गोविन्द राम मलकानी जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 366 ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. राजपाल मलकानी पुत्र गोविन्द मलकानी जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 366 ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा
2. श्रीमती साक्षिका मलकानी उर्फ उषा मलकानी पत्नी श्री राजपाल मलकानी पुत्री स्वर्गीय श्री परमानन्द मलकानी जाति सिन्धी निवासी मकान नम्बर 366ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा राज.

—रेस्पोडेन्ट.

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्व आदेश दिनांक 21.11.2024 उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा मिसल नंबर 18/2024 अन्तर्गत धारा 32

उपस्थितः—

1. श्री दिलीप सिंह यादव, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक— 09.06.2025

1 प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर वास्ते प्रार्थी का मकान नं0 366एहनुमान मंदिर के सामने शीला चोधरी राड तलवण्डी कोटा से अप्रार्थीगण की बेदखली की प्रार्थना पर दिनांक 21.11.2024 को आदेश पारित किया है कि—" उभय पक्षकारान के मध्य घरेलू हिंसा एवं सम्पत्ति के प्रकरण अन्य सिविल न्यायालयों में जैरकार है जिस कारण प्रकरण सम्पत्ति के विवाद एवं पारिवारिक हिंसा से संबंधित होना पाया जाता है जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलग्न फर्द दस्तावेजों के अवलोकन से होती है । अप्रार्थी नं0 2 की ओर से माननीय न्ययालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम सं0 2 (दक्षिण) कोटा के आदेश प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 13.10.23 की प्रति पेश की है जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थी नं0 2 के पक्ष में अप्रार्थी नं0 2 को मकान 366 ए हनुमान मंदिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा से बेदखल नहीं किये जाने का पारित किया हुआ है । जिस कारण हम प्रार्थीगण को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोशण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष दिया जाना उचित नहीं समझते है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

जिला कलक्टर
कोटा

2. उक्त आदेश दिनांक 21.11.2024 की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30.12.2024 को पेश की गई है कि अपीलान्ट के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 32 भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.11.2024 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय को पारित किए जाते समय ज्यूडिशियल माइंड का प्रयोग नहीं किया तथा कानून के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं उसका अवालोकन एवं विवेचन किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो निरस्तनीय है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये । रेस्पोडेन्ट नं0 1 दिनांक 3.2.25 को एवं 24.3.25 को स्वयं उपस्थित हुआ इसके बाद लगातार अनुपस्थित रहने से अनुपस्थिति दर्ज की गई । रेस्पो0 नं0 2 की ओर अभिभाषक श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा बहस हेतु बार बार बार समय चाहा गया जो दिया गया । दिनांक 12.5.25 को अन्तिम मौका दिया गया, अन्तिम बहस हेतु नियत तारीख 26.5.2025 को अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट अनुपस्थित । न्यायहित मे अपीलान्ट को एक ओर अन्तिम मौका दिया जाकर दिनांक 2.6.2025 को आवश्यकरूप से बहस प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया किन्तु नियत दिनांक 2.6.2025 को भी वकील अपीलान्ट अनुपस्थित रहने तथा उनकी जूनियर द्वारा बहस हेतु ओर मौका चाहने से अपील का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु अपील मेमों ही बहस मानते हुए वकील रेस्पोडेन्ट को सुना गया ।

4. अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित किया है कि अपीलान्ट एक वरिष्ठ नागरिक है उन्होने अपनी स्वअर्जित आय से एक सम्पत्ति जो कि मकान नम्बर 366–ए हनुमान मन्दिर के सामने शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा पर बनायी थी जिसका स्वामित्व अपीलान्ट का है और जिस पर किसी प्रकार का कोई अधिकार रेस्पोडेन्ट का नहीं है परन्तु रेस्पोडन्ट कम 1 जो कि अपीलान्ट का नैसर्गिक पुत्र है इस कारण वह जन्म से ही अपीलान्ट के साथ निवास कर रहा है परन्तु जब रेस्पो0 नं0 1 का विवाह रेस्पा0 नं0 2 के साथ किया गया तब से वह रेस्पो0 नं0 2 के बहकावे में आकर अपीलान्ट को उनकी स्वयं की सम्पत्ति से बाहर निकालना चाहता है और इसी कम में दोनों रेस्पोडेन्ट ने सोची समझी साजिश के साथ एक मुकदमा 498–ए, 406 आईपीसी के तहत महिला थाना जयपुर में दर्ज कराया गया जहां बेवजह अपीलान्ट को परेशान होना पडा दोनों रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट को लगातार प्रताडित किया जा रहा है तथा उनके द्वारा अपीलान्ट का कोई कार्य नही किया जाता वरन इन सबके विपरीत अपीलान्ट का जो भी सामान होता उन सभी सामानों को रेस्पोडेन्ट जबरन ले जाते चूंकि दोनों रेस्पोडेन्ट आपस में मिले हए है इसी कारण रेस्पोडन्ट नं0 2 ने जो कार्यवाहियां रेस्पोडेन्ट नं0 1 सहित दोनों अपीलान्ट्स के विरूद्व की है जिनमें दहेज यातना का प्रकरण के अलावा घरेलू हिंसा एवं भरण पोषण आदि की कार्यवाहियां भी है साथ ही एक तलाक का प्रकरण धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत जयपुर के न्यायालय में रेस्पो0नं0 1 ने रेस्पो0 न0 2 के विरूद्व पेश कर रखा है और इन समस्त प्रकरणों को न्यायालय में जैरकार होने के बावजूद भी दोनों रेस्पोडेन्ट अपीलान्ट के मकान में साथ साथ निवास कर रहे है जो कि स्पष्ट रूप से इस तथ्य को बखूबी प्रमाणित करता है कि दोनों रेस्पोडेन्ट एक सोची समझी साजिश के तहत अपीलान्ट के विरूद्व आपराधिक षडयन्त्र रचते हुए यह कार्य उन्हें उनके मकान से निकालने के संबंध में कर रहे है । रेस्पो0 नं0 1 अपीलान्ट का पुत्र है जो पूरी तरह रेस्पो0 नं0 2 के दबाव में है और वे कोई भी अनहोनी घटना अपीलान्ट के साथ कर सकते है । इन्ही परिस्थितियों के कारण अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्टगण को उनके स्वअर्जित मकान से बेदखल करने हेतु प्रस्तुत किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को समझे बिना एवं बिना ज्यूडिशियल माइंड एप्लाई किये ही खारिज कर दिया है । अधीनस्थ न्यायालय

जिला कलक्टर
कोटा

ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया है कि रेस्पोडेन्ट ने जो आदेश न्यायालय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क0ख0 एवं न्यायिक मजि0 कम–2 (दक्षिण) कोटा का पेश किया है उसको भी गलत प्रकार से विवेचन किया है जबकि उस आदेश में माननीय न्यायालय ने विधिव कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार की कोई बाधा दर्ज नहीं की है । माननीय अति0 सिविल न्यायाधीश क0ख0 एवं न्यायिक मजि0 कम 2 दक्षिण कोटा ने अपने आदेश में विधि विरूद्व तरीके से बेदखल किए जाने के संबंध में आदेश पारित किया है जबकि विधिवत कार्यवाही किए जाने के संबंध में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगायी है ओर इस आदेश का जो विवचन अधीनस्थ न्यायालय ने किया है वह कानून के सर्वमान्य सिद्वान्तों के विपरीत है जिसके फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश कानून के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेष दिनांक 21.11.2024 को निरस्त कर रेस्पोडेन्ट्स को अपीलान्ट्स के मकान से बाहर निकाले जाने के संबंध में आदेश पारित फराये जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट कम 2 ने एक स्थाई निषेधाज्ञा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय अति0 सिविल न्यायाधीश न्यायिक मजि0 कम 2 कोटा के समक्ष पेश की थी उक्त प्रकरण में माननीय न्ययालय द्वारा रेस्पोडेन्ट कम 2 व उसकी पुत्री को रिहायशी परिसर से बेदखल ना करें और शान्ति प्रिय तरीके से निवास करने दे । इस आदेश की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है । अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ने मिलीभगत से एवं दूरभिसंधि से यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है । कतई चलने योग्य नहीं है । रेस्पो0 कम 1 के विरूद्व रेस्पो0 कम 2 ने 125 सीआरपीसी अपर सिविल न्यायिक मजिस्ट्रेट कम 7 जयपुर महानगर प्रथम में आवेदन दिया था जिसमें 15,000/– मासिक भरण पोषण की राशि के आदेश पारित किये हुये है जिसकी पालना 125(3) सीआरपीसी के तहत न्यायालय द्वारा रेस्पो0 कम 1 के विरूद्व वसूली वारंट जारी किये हुये है, जिस पर न्यायालय द्वारा नोट आलेखित किया हुआ है कि अदम अदायगी की सूरत में अप्रार्थी को गिरफ्तार कर पेश करें । अदम तामिल सूरत में तामिल कुनिन्दा स्वयं उपस्थित आये । जिनकी असल वसूली वारंट लिखित बहस के साथ पेश है । अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट कम 1 ने मिलीभगत से यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की है । इस अपील को पेश करने का उद्देश्य महज रेस्पो0 कम 2 को नाजायज रूप से परेशान करने के उद्देश्य से पेश की गई है जो कतई चलने योग्य नहीं है । अतः उक्त अपील को खारिज करवाये जाने के आदेश फरमाये जाने की कृपा करें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवालोकन किया । अपीलांट द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.11.2024 के विरूद्व दिनांक 30.12.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है । प्रार्थी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 32 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति से अप्रार्थीगण को बेदखल करने का अनुतोष चाहे गये है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत बहस एवं फर्द के साथ अपर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायि मजिस्ट्रेट कम–7 द्वारा धारा 125 (3) सीआरपीसी के तहत रेस्पोडेन्ट से 15000/– प्रति माह से तीन माह के 45000/– की वसूली का वारन्ट जारी किया गया है का अवलोकन किया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में मौजूद अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश कम सं0 7 दक्षिण कोटा के दिवानी विविध प्रकरण संख्या 380/2023 उनवा साक्षिका मलकानी उर्फ उषा मलकानी पत्नी राजपाल मलकानी बनाम राजपाल मलकानी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2023 अनुसार प्रार्थीया द्वरा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत ऑर्डर 39 नियम 1 व 2 सीपीसी में मकान नं0 366, हनुमान मंदिर के सामने, शीला चौधरी रोड तलवण्डी कोटा से प्रार्थीया व उसकी पुत्री को बेदखल नहीं करें तथा उनके शांतिपूर्व निवास करने में कोई बाधा

जिला कलक्टर
कोटा

पैदा नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण राजपाल मलकानी, गोविन्दराम मलकानी, श्रीमती कांता मलकानी को पाबन्द किया हुआ है । इस प्रकार प्रकरण में यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलान्टगण, रेस्पोडेन्ट नं0 1 एवं रेस्पो0 नं0 2 के मध्य सिविल न्यायालयों में विभिन्न वाद विचाराधीन है, इसी कारण से अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 2 को वर्णित मकान से बेदखल करना चाहते है जबकि अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश क्रम 2 दक्षिण कोट द्वारा रेस्पो0 नं0 2 को उक्त वर्णित मकान से बेदखल नहीं करने एवं शांतिपूर्वक निवास में बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु अपीलान्टगण एवं रेस्पो0 नं0 1 को को पाबन्द किया हुआ है, प्रकरण प्रथम दृष्टया ही वरिष्ट नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की मंशा के अनुरूप नहीं है । इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है । जिसमें हम कोई दोष नहीं पाते है । प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

7 उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के के पर्याप्त एवं विधिक ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.11.2024 में हस्तक्षेप करना उचित पाते है ।

8 निर्णय आज दिनांक 09.6.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलक्टर
कोटा